पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः श्रावण 02, 1944

शुक्रवारः 15 जुलाई 2022

रक्षा मंत्रालय ने निष्पादन एवं दक्षता लेखा परीक्षा के लिए एक शीर्ष समिति का गठन किया

यह अनुपालन लेखा परीक्षा से समग्र दक्षता में सुधार करने के लिए एक बड़ा बदलाव है

रक्षा मंत्रालय ने अपनी गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में निष्पादन एवं दक्षता लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए एक संस्थागत प्रणाली वाली शीर्ष समिति की स्थापना की है। रक्षा सचिव को इस शीर्ष समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस प्रकार की लेखा परीक्षा से आंतरिक नियंत्रण में प्रणालीगत सुधार, वित्तीय प्रक्रियाओं की सुदृढ़ता, जोखिम कारकों की पहचान आदि परियोजनाओं को योजनाबद्ध करने और निष्पादन में, यदि कोई कमी हो, के बारे में मंत्रालय के शीर्ष प्रबंधन को मूल्यवान इनपुट प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। समग्र दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से परिणाम-आधारित निष्पादन/दक्षता लेखा परीक्षा करने के लिए यह मौजूदा लेन-देन-आधारित अनुपालन लेखा परीक्षा में एक बड़ा बदलाव है।

समिति के सदस्यों में तीनों सेनाओं के सह अध्यक्ष, सचिव रक्षा (वित्त), एकीकृत स्टाफ समिति के प्रमुख (सीआईएससी), रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए), महानिदेशक (अधिग्रहण) और रक्षा मंत्रालय तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

निष्पादन और दक्षता लेखा परीक्षा के संचालन के लिए जिन व्यापक क्षेत्रों की पहचान की गई है, उनमें रक्षा पूंजीगत खरीद, प्रावधान, रसद, वस्तुसूची स्तर, प्लेटफार्मों/परिसंपत्तियों का रखरखाव, प्राधिकरण अधिकार क्षेत्र के सीलबंद ब्योरे (एएचएसपी) की भूमिका और निष्पादन आदि शामिल हैं। शीर्ष समिति निष्पादन एवं दक्षता लेखा परीक्षा के लिए किसी अन्य विशिष्ट क्षेत्र की संस्तुति कर सकती है।

रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली समिति सीजीडीए द्वारा निष्पादन और लेखा परीक्षा के संचालन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करेगी और निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्टों और उन पर की गई कार्रवाई की निगरानी करेगी। यह समिति अपनाए जाने वाले सुधार संबंधी उपायों के साथ-साथ आंतरिक पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन ढांचे के सुदृढ़ीकरण में समग्र सुधार के उपायों के बारे में भी रक्षा मंत्री को सलाह देगी।

एबीबी/डीएस